भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †3434

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

विरासत पर्यटन को प्रोत्साहन

†3434. डॉ. कडियम काव्यः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विरासत पर्यटन को बढ़ाने/प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन गतिविधियों के संदर्भ में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और उसके विभागों ने पर्यटन से जुड़े हितधारकों के लिए कोई क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय द्वारा संवर्धनात्मक कार्यक्रमों, मेलों और महोत्सवों के आयोजन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सहायता, प्रदर्शनियों में भागीदारी, वेबसाइट और सोशल मीडिया सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से देश में विरासत पर्यटन के साथ-साथ विभिन्न पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन किया जाता है।

मंत्रालय ने जुलाई 2024 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए "अतुल्य भारत" प्रदर्शनी की व्यवस्था की थी। इसके अलावा, आयोजन के दौरान प्रतिनिधियों के लिए हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया गया।

पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक काजीरंगा, असम में **12**वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का भी आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधियों ने चराइदेव मोइदाम्स, रंगघर, शिवसागर का भी दौरा किया।

पर्यटन मंत्रालय अपने घरेलू पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में वेबिनार, क्विज, सेमिनार, पर्यटन प्रचार कार्यक्रम, परिचायक यात्रा, हेरिटेज वॉक आदि जैसे विभिन्न कार्यकलापों को निष्पादित करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस पोल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 5 पर्यटन श्रेणियों, यथा आध्यात्मिक, प्रकृति एवं वन्यजीव, साहसिक, सांस्कृतिक एवं विरासत श्रेणी में सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों को चिह्नित करने के लिए नागरिकों के साथ जुड़ना है।

पर्यटन मंत्रालय, आगंतुकों को एक समृद्ध पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' संबंधी राष्ट्रीय मिशन और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों की सहायता' नामक योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके विरासत पर्यटन का भी संवर्धन कर रहा है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन संबंधी कार्यकलापों के संबंध में कुछ उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में अपनी स्वदेश दर्शन योजना शुरू की, जिसके तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 में इसकी शुरूआत के बाद से वर्ष 2018-19 तक देश में 5287.90 करोड़ रुपये की संशोधित स्वीकृत राशि की कुल 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन 76 परियोजनाओं में से 75 परियोजनाओं के वास्तविक रूप से पूर्ण होने की सूचना प्राप्त हुई है।

- पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन गंतव्यों के एकीकृत विकास के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करने के मिशन के साथ अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के तौर पर नया रूप दिया है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से और योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत देश में 793.20 करोड़ रुपये की कुल लागत से 34 परियोजनाओं को विकास के लिए मंजूरी दी गई है।

- चिह्नित तीर्थ और विरासत गंतव्यों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। जनवरी 2015 में इसकी शुरूआत से लेकर अब तक मंत्रालय ने 1646.99 करोड़ रुपये

की अनुमोदित लागत से देश में 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 23 परियोजनाओं के वास्तविक रूप से पूर्ण होने की सूचना मिली है।

- 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई)' के तहत भारत सरकार ने हाल ही में देश में 3295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

- अल्प ज्ञात स्थलों को बढ़ावा देने, हितधारकों से जुड़े रहने और नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए देखो अपना देश अभियान शुरू किया गया।

- 'पर्यटन मित्र' और 'पर्यटन दीदी' पहल की शुरूआत की गई।

(ग) से (घ): पर्यटन मंत्रालय 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)' नामक अपनी योजना के तहत देश भर के विभिन्न संस्थानों के माध्यम से अल्पावधिक कौशल प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, ताकि अपार पर्यटन संभावना का पूर्ण लाभ उठाया जा सके और स्थानीय लोगों को नए और मौजूदा सेवा प्रदाताओं के रूप में व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान की जा सके, जिससे स्थानीय लोग और अधिक रोजगार के योग्य बन सके।

सीबीएसपी योजना के तहत आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हुनर से रोजगार तक (क्षमता निर्माण), कौशल परीक्षण और प्रमाणन (पुन: कौशल), उद्यमिता कार्यक्रम, पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सीबीएसपी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या**
2021-22	22034
2022-23	21641
2023-24	24153
2024-25*	30230*

* वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम आंकड़े

देश भर के पर्यटक स्थलों पर पर्याप्त संख्या में स्थानीय, प्रशिक्षित पेशेवरों को उपलब्ध कराकर पर्यटकों के समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक अखिल भारतीय ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की।

****